प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

23 सितंबर 2021

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि[1] - मार्च 2021

आज भारतीय रिजर्व बैंक ने 'अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि – मार्च 2021' का प्रकाशन अपने भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस (डी.बी.आई.ई.) नामक पोर्टल (वेब-लिंक- https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications#!18) पर जारी किया।

मूलभूत सांख्यिकी विवरणी (बीएसआर) -2 सर्वेक्षण[2] के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण व लघु वित्तीय बैंकों सहित) द्वारा जमा राशि के प्रकार (चालू, बचत और अवधि) और उसके संस्थागत क्षेत्रवार स्वामित्व, सावधि जमा राशि के परिपक्वता पैटर्न और कर्मचारियों की संख्या पर आंकड़ें रिपोर्ट किए जाते हैं। ये डेटा अलग-अलग स्तर (जैसे जमा राशि का प्रकार, जनसंख्या समूह, बैंक समूह, राज्य, जिला, केंद्र, ब्याज दर सीमा, आकार, मूल तथा अवशिष्ट परिपक्वता) पर जारी किए जाते हैं।

मुख्य बातें:

- चालू खातों और बचत खातों में उच्च वृद्धि के कारण बैंक जमा राशि में 2020-21 के दौरान 11.9 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.8 प्रतिशत) वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज़ हुई। मार्च 2021 में सीएएसए जमा राशि की हिस्सेदारी (पिछले वर्ष 41.7 प्रतिशत) से बढ़कर 43.7 प्रतिशत हो गई ।

- संस्थागत श्रेणियों में, घरेलू क्षेत्र की कुल जमा राशि में 64.1 प्रतिशत हिस्सेदारी थी; व्यक्तियों {हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) सहित} ने कुल जमा राशि में 55.8 प्रतिशत का योगदान दिया, जो घरेलू क्षेत्र के प्रमुख घटक थे।

- गैर-वित्तीय निगमों की बैंक जमा राशि में 2020-21 के दौरान 18.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मार्च-2021 में कुल जमा राशि में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 16.2 प्रतिशत हो गई।

- बैंकों की महानगरीय शाखाएं, जिनकी कुल जमा राशि में आधे से अधिक की हिस्सेदारी है, 2020-21 के दौरान वृद्धिशील जमा राशि में इनकी हिस्सेदारी 59.6 प्रतिशत (पिछले वर्ष 43.2 प्रतिशत) थी।

---

[1] मार्च 2021 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के लिए पाक्षिक फॉर्म-ए रिटर्न (आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42 (2) के तहत एकत्र) पर आधारित सकल डेटा का प्रकाशन हमारी वेबसाइट (होम> सांख्यिकी> डेटा रिलीज> पाक्षिक - भारत में अनुसूचित बैंक की स्थिति का विवरण) में पहले ही किया जा चुका है तथा मार्च 31, 2021 के लिए एससीबी की जमा राशि और ऋण पर त्रैमासिक सांख्यिकी के आधार पर अलग-अलग डेटा हमारी वेबसाइट (होम> सांख्यिकी> डेटा रिलीज>त्रैमासिक> एससीबी के जमा राशि और ऋण पर त्रैमासिक सांख्यिकी) पर पूर्व में प्रकाशित हो चुका है।

[2] 2019 से बीएसआर-2 सर्वेक्षण में एससीबी में जमा राशि की संरचना और स्वामित्व पैटर्न पर बीएसआर-4 सर्वेक्षण भी शामिल है। तदनुसार, डेटा तालिकाओं को पुनः निर्मित किया गया।

- तीन प्रमुख राज्यों (महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक) के पास 2020-21 के दौरान, घरेलू क्षेत्र की कुल बकाया जमा राशि का एक तिहाई और वृद्धिशील जमा राशि में 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा था।

- बैंकों की कुल जमा राशि में निजी क्षेत्र के बैंकों की भागीदारी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कीमत पर निरंतर वृद्धि रही, जो 30.5 प्रतिशत थी (एक वर्ष पहले 29.5 प्रतिशत) और यह वित्तीय व गैर वित्तीय निगमों तथा शेष विश्व की जमा राशि का लगभग आधा हिस्सा है।

- सावधि जमा राशि की ब्याज दर संरचना में गिरावट के कारण, 6 प्रतिशत ब्याज दर से कम वाली सावधि जमा राशि की भागीदारी तेजी से बढ़कर मार्च 2021 में 69.0 प्रतिशत हो गई जो एक वर्ष पहले 21.3 प्रतिशत थी; ब्याज दर वर्ग '5 से 6 प्रतिशत से कम' में कुल सावधि जमा राशि का उच्चतम संकेंद्रण (36.8 प्रतिशत) था।

- अधिकांश सावधि जमा राशि मूल रूप से 'एक वर्ष से तीन वर्ष से कम' की परिपक्वता के लिए अनुबंधित थे।

- अल्पावधि जमा राशि की भागीदारी (मूल परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम) बढ़कर 32.8 प्रतिशत हो गई (एक वर्ष पहले 25.4 प्रतिशत); अवशिष्ट परिपक्वता के संदर्भ में सावधि जमा राशि का 75.7 प्रतिशत भाग एक वर्ष के भीतर परिपक्व होगा।

अजीत प्रसाद
निदेशक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/916